राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र, 1967 का प्रथम दिवस [संख्या 1

बुधवार,

दिनांक ३ मई, 1967

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अस्थाई अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): महोदय, श्री पूनमचन्द विश्नोई की अस्थाई अध्यक्ष पद पर नियुक्ति, उनके समक्ष विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने तथा उनके द्वारा दिनांक 2 मई, 1967 को प्रातः 9.00 बजे राज्यपाल महोदय के सम्मुख शपथ लेने सम्बन्धी अधिसूचनायें पढ़कर सुनाता हूं जो इस प्रकार हैं :–

(१) अधिसूचना संख्या एफ० 1 (1) एल०। 67 दिनांक 28 अप्रेल, 1967–
"भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राजस्थान के राज्यपाल श्री पूनमचन्द विश्नोई, जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं, को 3 मई, 1967 से प्रारम्भ होने वाले चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के सत्र के दौरान, उस समय तक जब तक कि अध्यक्ष का यथाविधि निर्वाचन न हो जाय, उक्त विधान सभा के अध्यक्ष पद के कर्त्तव्यों का निष्पादन करने के लिये नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,
मनोहरसिंह,
शासन सचिव"

(2) अधिसूचना संख्या एफ० 1(1) एल।67 दिनांक 28 अप्रेल, 1967–
"भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राजस्थान के राज्यपाल श्री पूनमचन्द विश्नोई को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करते हैं जिसके समक्ष कि चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के सदस्य शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे तथा उस पर हस्ताक्षर करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,
मनोहरसिंह
शासन सचिव।"

(3) अधिसूचना संख्या एफ० 14 (1) टी० ओ०।67 दिनांक 2 मई, 1967–
"श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य विधान सभा, ने भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 7 के अनुसार दिनांक 2 मई, 1967 को प्रातः 9.00 बजे राज्यपाल महोदय के समक्ष शपथ ग्रहण करली है ।"

श्री अस्थाई अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करना ।

(श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा नाम पुकारने पर निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की या प्रतिज्ञान किया ।

1. श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
2. श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना)	(,, प्रतिज्ञान किया)
3. श्री दामोदरलाल व्यास (मालपुरा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
4. श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
5. श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर)	(उर्दू में शपथ ग्रहण की)
6. श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी)	(हिन्दी में प्रतिज्ञान किया)
7. श्री परसराम मदेरणा (भोपाल गढ़)	(,, शपथ ग्रहण की)
8. श्री अमीनुद्दीन (तिजारा)	(उर्दू में शपथ ग्रहण की)
9. श्री नारायणसिंह मसूदा (मसूदा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
10. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
11. राव श्री धीरसिंह (बैराठ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
12. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)	(,, शपथ ग्रहण की)
13. श्री अब्दुल हादी (चौहटन)	(उर्दू में शपथ ग्रहण की)
14. श्री अम्बालाल (अजमेर पूर्व)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
15. श्री अमीलाल यादव (बहरोड)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
16. श्री अमृतलाल यादव (राजसमन्द)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
17. श्री आइदानसिंह (भीनमाल)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
18. श्री आदित्येन्द्र (डीग)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
19. श्री आलमअली (फतेहपुर)	(श्री अस्थायी अध्यक्ष ने हिन्दी में प्रतिज्ञान कराया)
20. श्री ओमदत्त (सरदारपुरा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
21. श्री कन्हैयालाल (पिड़ावा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

(एक दो सदस्य—गद्दार ! शेम ! शेम !!)

22. श्री कन्हैयालाल (बस्सी)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

(एक माननीय सदस्यः—सब्र का फल मीठा होता है ।)

23. श्री कल्याणमल (जहाजपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
24. श्रीमती कांता खतूरिया (कोलायत) (,, शपथ ग्रहण की)
25. श्री कालू (सिवाना) (,, शपथ ग्रहण की)
26. श्री कालूराम आर्य (बिलाडा) (,, शपथ ग्रहण की)
27. श्री कृष्ण कुमार (कोटा) (,, शपथ ग्रहण की)
28. श्री किशनलाल (नाथद्वारा) (हिन्दी मे शपथ ग्रहण की)
29. श्री किशनलाल (नांवा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
30. श्री किशनलाल (निकराय) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
31. श्री केदारनाथ (गंगानगर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
32. श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) (हिन्दी मे शपथ ग्रहण की)
33. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
34. श्री गंगासहाय (कठूमर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
35. श्री गणेशलाल (गंगरार) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
36. श्री गामा (आबू) (श्री अस्थायी अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी में शपथ ग्रहण कराई)
37. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
38. श्री गुरदीपसिंह (करनपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
39 श्री गुलाबसिंह (वल्लभनगर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
40. श्री गोकुलचन्द (खेरथल) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
41. श्री गोवर्धन (मेड़ता) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
42. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
43. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
44. श्री चुन्नीलाल (नीछा) (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
45. श्री छुट्टनलाल (टोडा भीम) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
46. श्री जगन्नाथ (टोड़ा रायसिंह) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
47. श्री जयकृष्ण (थाना गाजी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
48. श्री जयनारायण (निवाई) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
49. श्री जयनारायण (लसाडिया) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
50. श्री जवाहरमल (सहाडा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
51. श्री जसराज (भिनाय) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
52. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
53. श्री जेपाराम (जालोर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
54. श्री डूंगाराम (दौसा) (हिन्दी में शपथ ग्रणह की)
55. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
56. श्री दीपचन्द (फलोदी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
57. श्री दुर्गालाल (हवा महल, जयपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

58. श्री दुर्जनसिंह (रानीवाड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
59. श्री देवीदत्त (बारां) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
60. श्री देवीलाल (केकड़ी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
61. श्री देवीलाल (मराड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
62. देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
63. श्री दौलतराम (डूंगरगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
64. श्री दौलतराम (देसूरी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
65. श्री नत्थीलाल (नदवई) (हिन्दी में मैं नत्थीलाल जो विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर खुदा और भगवती की कसम खा कर– . . .

श्री अस्थायी अध्यक्ष : आप मैं बोलूं उसके पीछे बोलेंगे।

श्री नत्थीलाल : मैं पढ़ देता हूं।

(पुन: ठीक तरह से शपथ ग्रहण नहीं कर सके अतः श्री अस्थायी अध्यक्ष ने शपथ दिलवाई)

66. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
67. श्री नथमल (लक्ष्मणगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
68. श्री नन्दलाल (किशनगंज) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
69. श्री नन्दलाल (पाटन) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
70. श्री नाथूदास (फलासिया) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
71. श्री नाथूराम (बागीडोरा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
72. श्री नाथूलाल (जमवारामगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
73. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया है, इन्हें दुबारा पढ़ाइये, कई दफा शपथ दिलानी है . . . .

74. श्री परसराम (परबतसर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
75. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) (हिन्दी में प्रतिज्ञान किया)
76. श्री पुखराज (सोजत) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
77. श्री पृथ्वीराज (बामनवास) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
78. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
79. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
80. श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
81. श्री प्रेमसिंह (छबड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
82. श्री फतहसिंह (ब्यावर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
83. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

Page No.5

84. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
85. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
86. श्री बलवन्त (बाड़ी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
87. श्री बागसिंह सोढा (जैसलमेर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
88. श्री बिरधीचन्द (बाड़मेर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
89. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
90. श्री बीरबल (संगरिया) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
91. श्री बृजवल्लभ (दीगोद) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
92. श्री बृजेन्द्र पाल (करोली) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
93. श्री ब्रजप्रकाश (हनुमानगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
94. श्री भगवानदास (अजमेर पश्चिम) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
95. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
96. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
97. श्री भूरा (शाहपुरा) (अस्थाई अध्यक्ष द्वारा हिन्दी में शपथ दिलाई गई)
98. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
99. श्री मजलिस खां (कामां) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
100. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
101. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
102. श्री मदनसिंह (सिरोही) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
103. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
104. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) (हिन्दी में शपथ ग्ररण की)
105. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
106. श्री महेन्द्रसिंह हाडा (पीपलदा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
107. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, (गांधी नगर, जयपुर) (अनुपस्थित)।
108. श्री माधोसिंह (आहोर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
109. श्री मानसिंह (कुम्हेर) (अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की)
110. श्री मुकटबिहारीलाल (बयाना) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
111. श्री मुल्कराज (रायसिंहनगर) (अनुपस्थि कृपया आगे देखिये)
112. श्री मूलचन्द (पाली) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
113. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी). (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
114. श्री मेघराज (चूरू) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
115. श्री मोतीलाल (रेवदर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
116. श्री मोहनलाल (नीम का थाना) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
117. श्री मोहम्मद उस्मान (नागौर) (उर्दू में शपथ ग्रहण की)
118. श्री यशवन्त सिंह (बनेड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
119. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

Page No.6

120. श्री रघुवीर सिंह (खेतड़ी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
121. श्री रणजीतसिंह (भौसिया) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
122. श्री रतनलाल (चौरासी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
123. श्री राजेश्वर सिंह (चौमूं) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
124. श्री रामकिशन (वैर) (हिन्दी में प्रतिज्ञान किया)
125. श्री रामकुमार (चित्तौड़गढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
126. श्री रामकुमार (सपोटरा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
127. श्री रामचन्द्र (खंडेला) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
128. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
129. श्री रामचरण (अटरू) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
130. श्री रामदेवसिंह (सीकर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
131. श्री रामनारायण (मंडावा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
132. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
133. श्री रामप्रसाद लढ्ढा (भीलवाड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
134. श्री रामसिंह (जायल) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
135. श्री रामानन्द (अलवर) (हिन्दी में प्रतिज्ञान किया)
136. श्री रावतराम (छापर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
137. श्री रिद्धिचन्द पालीवाल (गंगापुर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
138. श्री रूपसिंह राजवी (सरदार शहर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
139. श्री रोशनलाल (सलूम्बर) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
140. श्री लक्ष्मण (डग) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
141. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
142. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
143. श्री ललितसिंह शक्तावत (बड़ी सादड़ी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
144. श्री लादूराम सुलानिया (फागी) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
145. श्री लाभचन्द (सुजानगढ़) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
146. श्री विजयसिंह (नसीराबाद) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
147. श्री विजयसिंह (मकराना) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
148. श्री विट्ठल (पिपलखूंट) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
149. श्री विठ्ठलप्रशाद (अकलेरा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
150. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
151. श्री शंकरलाल (कपासन) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
152. श्री शंकरलाल (जैतारण) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
153. श्री शंभूराम (लालसोट) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
154. श्री शिवचरणसिंह (महुआ) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
155. श्री शिवचरण माथुर (मांडल) (हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

156.	श्री शिवनाथसिंह (गुढा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
157.	श्री शीशराम (सादूलपुर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
158.	श्री शोभाराम (रामगढ)	(हिन्दी में प्रतिज्ञान किया)
159.	श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
160.	श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
161.	श्री श्रीराम (कोटपूतली)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
162.	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
163.	श्री समर्थलाल (राजगढ़)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
164.	श्री सहदेव (आमेर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
165.	श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
166.	श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू)	(हिन्दी में प्रतिज्ञान किया)
167.	श्री सुमेरसिंह (किशनगढ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
168.	श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
169.	श्री सुवालाल (दूदू)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
170.	श्री सूरजमल (सूरजगढ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
171.	श्री हंसराज आर्य (मावरा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
172.	श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
173.	श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
174.	श्री हरलालसिंह (श्री माधोपुर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
175.	श्री हरिप्रसाद (मंडावर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
176.	श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
177.	श्री हरिसिंह (बैगूं)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
178.	श्री हीरा (कुम्भलगढ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
179.	श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
180.	श्री हुकमसिंह (शिव)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री सोहनलाल मोदी) : अनुपस्थित सदस्यों के नाम पुनः बोले जायेंगे।

181.	श्री मुलकराज (रायसिंह नगर)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
182.	श्री चुन्नीलाल (नोखा)	(हिन्दी में शपथ ग्रहण की)
183.	श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधीनगर)	(अनुपस्थित)

श्री अस्थाई अध्यक्ष : सदन की बैठक आज सायंकाल 5 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही आज सायंकाल 5 बजे तक के लिये 1.14 बजे मध्याह्नोत्तर स्थगित की गई)

शुद्धि-पत्र

3 मई, 1967 (प्रातः कालीन)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	1	बुद्धवार	बुधवार
1	3	मध्यान्ह	मध्याह्न
2	8	किया ।	किया ।)
2	20	गुढामालानी	गुढामालानी
3	23 व 24	टोड़ा	टोडा
3	नीचे से 4	प्रगह	ग्रहण
4	5	देवेन्द्रकुमार	श्री देवेन्द्रकुमार
4	8	(मदवई) (हिन्दी में)	(नदबई)
4	अंतिम	श्रीं	श्री
5	2	धोलपुर	धौलपुर
5	4	शपथ	शपथ
5	6	विश्वम्बरनाथ	विशम्बरनाथ
5	24	पंवार,	पंवार
5	24	(अनुपस्थित) ।	(अनुपस्थित)
5	28	(अनुपस्थि	(अनुपस्थित—
6	2	(औसिया)	(ओंसियां)
6	4	(चौमूं)	(चौमू)
6	6	(चित्तौढगढ़)	(चित्तौड़गढ़)
6	14	लड्ढा	लड्ढा
6	19	रूपसिंह	रूपसिंह
6	21	लक्ष्मण	लक्ष्मन
6	26	की	की
6	30	प्रशाद	प्रसाद
7	1	(गुढ़ा)	(गुढ़ा)
7	19	हिन्दो	हिन्दी
7	27	मुलकराज	मुल्कराज
7	अंतिम	मध्यान्होत्तर	मध्याह्नोत्तर

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र, 1967 का प्रथम दिवस संख्या 2

बुधवार,

दिनाङ्क 3 मई, 1967
(सायंकालीन)

विधान सभा की बैठक म. प. 5.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई कार्यकारी अध्यक्ष, पदासीन)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : शपथ अथवा प्रतिज्ञान।

जिन माननीय सदस्यों ने अभी तक संविधान के प्रति शपथ नहीं ली है वे अब ले सकते है।

श्री सचिव, विधान सभा : श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर।

(अनुपस्थित)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष : अध्यक्ष का चुनाव। श्री मोहनलाल सुखाड़िया प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मोशन मूव करने के बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठाए। अभी मोशन मूव नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोशन मूव नहीं हो सकता इसीलिये पहले व्यवस्था का सवाल उठाया है। मोशन मूव करने में और पढ़ने में एक मिनिट का समय लगता है। श्रीमन्, अभी-अभी आपने आसन से आदेश दिया कि अध्यक्ष के चुनाव के लिये मुख्य मंत्री प्रस्ताव रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को जो इस सचिवालय से कार्यसूचि वितरित की गई उसमें इस प्रकार की सूचना कल सायंकाल लगभग 7 बजे हमें मिली। मैं श्रीमानजी इस संबन्ध में आपका ध्यान संविधान की धारा 178 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि हमारे अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा और किस प्रकार से होगा।

यह बात सही है कि हमारे विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम बने हुए हैं उनके अन्तर्गत जो नियम 7 है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जो नियम विधान सभा ने बनाये हैं वे संविधान के अन्तर्गत बनाये हैं और संविधान के लिये यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत के संविधान के ऊपर हमारे देश में कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिये जो संविधान में लिखा है वह हमारे लिये मान्य है और इसलिये हम सभी माननीय सदस्यों ने आज इस संविधान के प्रति शपथ ग्रहण की है।

Page No.10

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा की बैठक श्रीमान राज्यपाल महोदय जी ने बुलाई, राज्यपाल जी को बैठक बुलाने का अधिकार है और संविधान के अनुसार कुछ राज्यपाल जी को कार्य करने के अधिकार दिये गये हैं। आज जब नई विधान सभा की बैठक है, उस समय कौन सदस्यों को शपथ दिलावे उसकी व्यवस्था धारा 188 में की गई है। स्वयं राज्यपाल महोदय सदस्यों को शपथ दिलावेंगे या किसी प्रकार से राज्यपाल असमर्थ हों या कोई दूसरी व्यवस्था करना चाहें तो कर सकते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में श्रीमान की नियुक्ति करके यह व्यवस्था की कि 3 तारीख को वे सदस्यों को शपथ दिलायें। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि शपथ दिलाने का कार्य आपने किया और शपथ दिलाने के लिये आपकी नियुक्ति की गई वह नियम के अन्तर्गत है लेकिन इसके बाद मैंने सारे संविधान को पढ़ा है, मुझे कोई प्रावधान दिखाई नहीं दिया जो श्रीमान राज्यपाल जी को अधिकार देता हो कि राज्यपाल महोदय के द्वारा नियुक्त किये हुए व्यक्ति के द्वारा यह किया जाए। यह प्रश्न मैं उठा रहा हूं, बहुत ही एम्बेरेसिंग प्रश्न है। आप श्रीमान् इसको बुरा न मानें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये आपको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। राज्यपाल को इसके लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को जो अधिकार हैं वे संविधान के अन्तर्गत दिये हुए हैं। चाहे विधान सभा का सत्र बुलाना हो, चाहे डिजोल्व करना हो, चाहे प्रोरोग करना हो। विधान सभा में संविधान की धारा 175 के अन्तर्गत संदेश भेजना हो, धारा 176 के अनुसार कोई विधान सभा में अभिभाषण देना हो, इस प्रकार के कुछ कार्यों के लिये राज्यपाल को अधिकार दिये हुए हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का, निर्देश करने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार न गवर्नर को है न प्रेसिडेन्ट ऑफ इण्डिया को है जो लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट में किसी प्रकार की दस्तनदाजी कर सके।

अध्यक्ष का चुनाव कौन करे, पी. ए. सी. आदि कमेटीज की कार्यवाही किस प्रकार से हम चलाते हैं। इस सम्बन्ध में राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी प्रकार का निर्देश दे सकें। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा 178 की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संविधान में जिस प्रकार सत्र बुलाने के, संदेश भेजने के, 175 में अधिकार दिये हैं और 176 में दिये हैं, जिस प्रकार 188 में शपथ दिलाने के अधिकार दिये गये हैं उस प्रकार संविधान की कौनसी धारा है जिसके अन्तर्गत वे किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में कोई धारा नहीं है जिससे कि वे अध्यक्ष के चुनाव के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको शपथ दिलाने के लिए नियुक्ति की गई वह संविधान के अन्तर्गत है लेकिन अध्यक्ष के लिये राज्यपाल को अधिकार नहीं है और यह सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज अध्यक्ष के चुनाव के लिये व्यवस्था की गई है उसके लिये मैं आपकी आज्ञा से संविधान की धारा 178 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"178. Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

श्रीमान आपने पढ़ा होगा, धारा 188 के अन्तर्गत जो शपथ दिलाई उसके लिए इसमें राज्यपाल महोदय को अधिकार दिया गया है :

"188. Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule."

....अब इस संविधान की धारा 178 में किसको अधिकार है, यह इसमें लिखा है;

"Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

श्रीमन् 'as soon as' मे भी राज्यपाल महोदय ने सब माननीय सदस्यों को शपथ दिला दी, या इस सदन में राज्यपाल महोदय ने आपको नियुक्त कर दिया कि शपथ दिला दें, आपने इस सदन में माननीय सदस्यों को शपथ दिलाई, इसके बाद यह लेजिस्लेटिव एसेम्बली तय करेगी कि कब इन्हें अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दो सदस्यों का चुनाव कराना है। इसमें लिखा है "as soon as may be" पर 178 के अन्तर्गत अध्यक्ष का चुनाव हो और कब चुना जाय, कौन से समय पर चुना जाय, इसके लिये 'as soon as may be' यह बहुत रिलेवेन्ट और महत्वपूर्ण है, यह सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान विधान सभा को है, वही तय करे कि इन दो सदस्यों का चुनाव कब कराना है, कौनसी तारीख को कराना है और किस प्रकार कराना है। इसलिये राज्यपाल महोदय ने 3 तारीख को 5 बजे अध्यक्ष का चुनाव कराने का तय किया है, वह अवैध है, उनको इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं हैं। यह सदन की मर्जी पर है कि अध्यक्ष का चुनाव 3 तारीख को करे, 4 को करे या 5 तारीख को करे। लेजिस्लेटिव एसेम्बली इस बात का फैसला करेगी कि अध्यक्ष का चुनाव 7 दिन बाद करे या उसी दिन करे पर सदन को यह आदेश देने का राज्यपाल महोदय को अधिकार नहीं है कि वह 3 तारीख को 5 बजे अध्यक्ष का चुनाव करें, अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिये नियुक्त करें। न संविधान की धाराओं में उन्हें इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वे इस प्रकार की नियुक्ति कर सकेंगे। मैंने सम्पूर्ण संविधान की धाराओं को पढ़ने की कोशिश की है और यह जानने की चेष्टा की है कि इस प्रकार की परिस्थिति में क्या होगा। माननीय सदस्यों ने बीच में हस्तक्षेप किया और जानना चाहा कि होगा क्या ? आप जब इस सदन में पधारे तो सार्जेन्ट ने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय सदस्यों को सूचना दी कि माननीय अध्यक्ष पधार रहे हैं। मुझे इससे अधिक खुशी नहीं हो सकती कि आपको यह पद मिला, वह आपको ही मिलना चाहिये था। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न इस बात का है कि इस सारी परिस्थिति में हमारा कोई अध्यक्ष है या नहीं। यह लेजिस्लेटिव असेम्बली तय करेगी कि अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं हो तो चेयरमैन, वह भी नहीं हो तो धारा 180 में लिखा है कि :

"During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

हम जिसको चाहें टेम्परेरी स्पीकर बनावें, अस्थाई अध्यक्ष विधान सभा बनायेगी। टेम्परेरी स्पीकर बनाने के बारे में चुनाव कराने की व्यवस्था यदि कहीं की गई है तो वह धारा 180 की उप-धारा 2 में की गई है, पर कहीं पर भी राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में नहीं लिखा है। राज्य सरकार या इस सदन के माननीय सदस्य वह धारा बतायें कि जिस धारा में इस प्रकार का अधिकार राज्यपाल महोदय को दिया गया हो कि राज्यपाल टेम्परेरी अध्यक्ष अपनी ओर से मुकर्रर कर सकते हैं ?

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 5 बजे अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित कर के इस हेतु राज्यपाल महोदय ने आपको नियुक्त किया है, वह अपने अधिकारों के खिलाफ किया है और यह सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है। आपके द्वारा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना अवैधानिक है। यह फैसला राज्यपाल महोदय की तरफ से नहीं हो सकता, यह फैसला यह सदन ही कर सकता है।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह बजट सेशन कल से प्रारम्भ होगा जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जायगा। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं। एक अध्यक्ष और दूसरे अस्थाई अध्यक्ष। अध्यक्ष की मौजूदगी में अस्थाई अध्यक्ष हो नहीं सकते। 28 को विधान सभा भंग की गई 13 तारीख को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया उसके बाद 3 तारीख को सदन की बैठक बुलाई गई। मैं निवेदन करूं कि आज इस समय 3 तारीख को 5 बजे इस विधान सभा के अध्यक्ष नहीं हैं जो विधान सभा के अध्यक्ष दो महीने पहले श्री रामनिवास मिर्धा थे, वही इस विधान सभा के अध्यक्ष हैं। वह अध्यक्ष चले जायेंगे तब दूसरा अध्यक्ष आयेगा। आप शायद कहना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 28 तारीख को विधान सभा समाप्त हो गई, वे चुनाव हार गये और यह आफिस खत्म हो गया, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अनुसार 14 दिन की सूचना पर सदन की बैठक बुलाने का है पर आपको सूचना तार से दी, 14 दिन की सूचना मिलनी चाहिये थी पर सूचना दी तार से,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
फोन से, जल्दी आने की । हमारे नियमों के अनुसार 14 दिन की सूचना होनी चाहिये . .

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : शोर्टर नोटिस पर भी बुला सकते है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आदेश किसके द्वारा निकला है, कौन निकाल सकता है । नियम 3 में है ।

"3. Summoning of Assembly.—(1) When a session of the Assembly is summoned, the Secretary shall intimate to each member the time and place appointed by the Governor for the meeting of the Assembly and shall cause a notification to be issued in the Gazette.

(2) The summons under sub-rule (1) shall ordinarily be issued fourteen days before the date so fixed:

Provided that if a session is called at short notice, the Secretary shall intimate the time and place for the meeting of the Assembly to members in such other manner as the Speaker may direct."

तो मैं यह जानना चाहता हूं और आप बताइये कि यह डायरेक्शन किसने दिया है, 28 तारीख को विधान सभा भंग हो गई, वे अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो नोटिस किसने दिया कि विधान सभा को बुलाया जाय, क्या सरकार की तरफ से इस पर कहा जायगा या मैं कह दूं : तार टैलीफोन द्वारा सूचना देने का यह अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है । पर यह निर्देश अध्यक्ष ने नहीं दिया, उपाध्यक्ष ने नहीं दिया, आज तक के लिये अध्यक्ष रामनिवासजी मिर्धा हैं, उन्होंने यह निदेश नहीं दिया है । राजस्थान विधान सभा के सारे कागजात, सारी कार्यवाही, जहां तक मेरी जानकारी है उनके द्वारा हुई है, आज भी वे विधान सभा के अध्यक्ष हैं । पर यह सूचना उनके हस्तखतों से नहीं जारी हुई । आप कह सकते हैं कि जब चुने हुए सदस्य भी सदन के सदस्य नहीं रहे, विधान सभा को भंग कर देने पर, तो हारे हुए अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं । पर संविधान कहता है, 179 धारा मैं पढ़ कर सुनाता हूं । 179 धारा इस प्रकार व्यवस्था करती है :

" A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;

(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office : and....."

रामनिवासजी चुनाव में हार गये तो मेम्बरशिप सीज हो जानी चाहिये थी पर वे अध्यक्ष रहेंगे । आप कहेंगे कि वह गलती हो गई होगी । गलती से काम करते रहे, या उनसे गलत तरीके से काम लिया होगा । ऐसा नहीं । काम करने वालों ने सही काम किया, उनसे काम लेने वालों ने ठीक तरह से लिया संविधान में व्यवस्था है :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"Provided further...."

Attention please,

"Provided further that whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution."

यह इसलिए संविधान कहता है कि अध्यक्ष का आफिस खाली नहीं रह सकता, यह एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं है जो राज्यपाल या राष्ट्रपति ले ले। यह सारा विधान मंडल का काम है जो एग्जीक्यूटिव से इन्डिपेन्डेन्ट है। इसलिए उस संबंध में यह व्यवस्था की गई। इस बीच में अगर अध्यक्ष का चुनाव हो गया और उसके बाद आपके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन हो गई और वह मन्जूर हो जाय तो अध्यक्ष सदस्य नहीं रहेगा। इसलिए संविधान की धारा 179 (ए) काम में आएगी।

"Shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly" उस समय भी आफिस खाली हो जाएगा लेकिन कहते हैं कि "प्रोवाइडेड फरदर" अगर विधान सभा भंग हो जाय और दूसरी विधान सभा मीट करे तो बोडी का जो हैड है वह नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए संविधान बनाने वालों ने इस बात की व्यवस्था की कि अगर विधान सभा डिजाल्व हो और उसके बाद जब तक नई विधान सभा रीकान्सटीट्यूट होकर उसकी मीटिंग न हो उस समय तक वह पुराना अध्यक्ष अपने आफिस को खाली नहीं करेगा "shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution" इतना साफ प्रोवीजो जोड़ा है। इसलिए इस संविधान की व्यवस्था और काम करने का तरीका अगर आप जानकारी हासिल करके बता दें कि 28 फरवरी को श्री रामनिवास मिर्धा जिस प्रकार पुरानी विधान सभा के सदस्य थे वह नहीं रहे और चुनाव के बाद शपथ नहीं ली इसलिए वह भी विधिवत् सदस्य नहीं लेकिन उस बीच में सब कुछ होने के बाद भी अगर उस समय चुनाव में जीते हुए पहले के सदस्य सदस्य नहीं रहे लेकिन विधान सभा के अध्यक्ष की स्थिति वही रही और मेरी मान्यता है कि आज की तारीख तीन में जब तक डिजोल्यूशन के बाद हमारी पहली मीटिंग नहीं होती, जब तक सैशन कमेन्स नहीं होगा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद मीटिंग जो कल होने वाली है "सिटिंग आफ दी असेम्बली" तब तक यह मीटिंग आफ दी असेम्बली नहीं है।

पिछले साल 12 माननीय सदस्यों को निकाला गया राज्यपाल महोदय द्वारा और विशेषाधिकार प्रस्ताव उस संबंध में पास किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आपने भी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा, उस समय हमको आपके साथ होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था, उस संबंध में हमारे उपाध्यक्ष जो थे उनकी अध्यक्षता में विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट बहुत बड़ी है, हिन्दी में भी है और अंग्रेजी में भी अनुवाद है। उस समिति के आगे जो मेटीरियल पाइंट्स थे कि जब अध्यक्ष बिराजमान थे तो राज्यपाल महोदय को इन 12 सदस्यों को निकालने का अधिकार नहीं था। उस समिति ने निर्णय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
दिया कि नहीं। उस समय के न्याय मंत्री, विधि मंत्री, योजना मंत्री, भूतपूर्व गृहमंत्री ने उस समय सदन में कहा "It is exclusive right of the Governor" जिसको गवर्नर चाहे बुला सकते हैं। ऐसा विचार उनकी सरकार का था और उसके बाद यह रिपोर्ट भी कहती है कि उस समय की मीटिंग "duly constituted sitting of the House" नहीं है। 92 उड़ीसा हाई कोर्ट में केस गया और हाई कोर्ट ने कहा कि विधान सभा तो तब कमेन्स होती है जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाय उसके बाद औपचारिक बैठक होगी। जैसे हमें सूचना दी गई है 8 बजे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा उसके बाद औपचारिक बैठक होगी। इस सचिवालय की कार्यवाही बुलेटिन भाग 2, 29 अप्रेल 1967, में लिखा है कि गुरुवार 4 मई को प्रातः 8 बजे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और फिर लिखा है कि अभिभाषण के आधे घंटे बाद औपचारिक बैठक। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जो बैठक है वह 'सिटिंग आफ दी असेम्बली' नहीं हैं संविधान की धारा 179 के प्रोवीजो के तहत जब तक 'मीटिंग आफ दी असेम्बली' नहीं होती तब तक कल मानो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण न हो, चार दिन के बाद हो तो इतने दिन विधान सभा सचिवालय का सारा काम देखने के लिए अध्यक्ष की स्थिति में कौन रहेगा? जब तक मिटिंग न होगी तब तक वही रहेंगे जो रहते आए हैं। यह बात बड़ी अटपटी सी लगती होगी लेकिन ये संविधान की व्यवस्थायें हैं। आपके अधिकार को चुनौती देना अटपटा सा लगता है। लेकिन मेरा कर्तव्य है। मैंने आज ही शपथ ग्रहण की है कि मैं निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि शपथ के बाद आपने भी मेरे साथ हाथ मिलाया था।

मैंने जो दो मुख्य मुद्दे उठाये हैं उनके आधार पर इस सदन का महत्व है, यह गंभीर परिस्थिति है और राज्य सरकार के सामने चक्कर डालने वाली स्थिति है क्योंकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कल प्रातः काल के लिए निश्चित किया हुआ है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि क्योंकि हमने तारीख तय कर दी है अभिभाषण के लिए और चूंकि हमें सदन का सत्र जल्दी से जल्दी समाप्त करना है इसलिए जल्दी करें। अगर उनको ऐसा लगता है तो सदन की बैठक स्थगित कर दें।

श्री अस्थाई अध्यक्ष: आप अपने एतराज पर ही बोलें कि क्या परिणाम होंगे। इस पर न जायं तो अच्छा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : एतराज इसलिए है कि आप कुर्सी पर बिराजमान हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मुद्दा तो यह है कि संविधान की धाराओं के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को चुनाव के लिए तिथि निश्चित करने का, समय निश्चित करने का और किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और अगर किया है तो संपूर्ण कार्यवाही अवैधानिक और असंवैधानिक है। एक साथ दो अध्यक्ष नहीं हो सकते। अध्यक्ष इस समय भी श्री राम निवास मिर्धा हैं और इसलिए दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता जब तक सदन की दूसरी बैठक विधिवत् नहीं होती उस समय की मीटिंग तक वह अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की कार्य-

Page No.16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहो करेंगे। उनकी जगह पर दूसरा व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इस आधार पर अध्यक्ष के चुनाव के लिए आप यहां आए हैं और अवैधानिक दृष्टि से आए हैं। कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिनके सामने यह प्रश्न है उनके सामने कैसे उनकी ग्राथोरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, उनके सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह विधिसंगत नहीं लगता। मैं पुराने माननीय सदस्यों को याद दिला दूं कि राजस्व मण्डल में सवाल खड़ा हुआ कि उसका संगठन वैधानिक नहीं है, एडवोकेट जनरल ने आपत्ति की कि यह सवाल आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, आप इसका फैसला नहीं कर सकते। राजस्व मण्डल की मैजोरिटी ओपीनियन थी कि हम फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिस ग्राथोरिटी के जुरिस्डिक्शन को आप चैलेंज करते हैं, वह यदि उसी ग्राथोरिटी के सामने उठाया जाय तो लेक ग्राफ जुरिसडिक्शन नहीं है। इसलिए इस तर्क का उत्तर भी मौजूद है। इसलिए एजेंडा पर जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में है, जितनी भी कार्यवाही है, वह असंवैधानिक है। इसलिए इस बैठक को स्थगित किया जाय। विधान सभा की बैठक फैसला करे कि हमें अध्यक्ष का चुनाव संविधान की धारा 178 के अन्तर्गत कब करना है, किस प्रकार से करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : श्रीमन्..............

श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल जयपुर) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था का प्रश्न है......

श्री अस्थायी अध्यक्ष : पहले विधि मंत्री जी बोले हैं। वह पहले बोल लें और उसके बाद आप कुछ कहें।

श्री दुर्गालाल बादवार : विधि मंत्री जी को बोलने में अधिक सहूलियत रहेगी।

श्री अस्थायी अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था हम दे देंगे। उनको बोलने दीजिये, आप तसल्ली रखिये।

श्री बरकतुल्ला खां : श्रीमन्, सदन के सामने बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है और सवाल यह है कि इस सदन की कार्यवाही के पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है या नहीं, गवर्नर को किसी को अपोइन्ट करने का अधिकार है या नहीं और अधिकार है तो क्या जो पहले स्पीकर थे वे ही बैठने चाहिए और दूसरे आदमी को अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत पुराने और लायक दोस्त ने बहुत अहम मुद्दे उठाये है।

श्रीमन्, मैं संविधान की धाराओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गवर्नर के लिए यह जरूरी है जैसा आर्टिकल 174 में कहा गया है—

(1) The Governor shall from time to time summon the House or each house of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session." तो यह जो सम्मन करने का जहां तक ताल्लुक है यह इसके अन्दर सम्मन किया गया है। अब सवाल यह आता है कि आज

(श्री बरकतुल्ला खां)
अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं उनको अधिकार है या नहीं ? आज तक हमारे सदन में यह परंपरा रही है कि जब कभी नये अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न आता था तो गवर्नर महोदय इस सदन के किसी सदस्य को यहां पर कुर्सी पर नोमिनेट करते थे। वे शपथ दिलाते थे और शपथ ग्रहण कराने के बाद स्पीकर का इलेक्शन कराते थे। हमारे सामने जोशीजी की वह मिसाल मौजूद है जब जोशी जी पहली असेम्बली के स्पीकर थे और जब इलेक्ट होकर आये थे तो इस सदन ने उनका नाम प्रपोज नहीं किया था।

अब प्रश्न यह उठता है कि गवर्नर को अधिकार है या नहीं। मैं आपका ध्यान आर्टिकल 180 की तरफ दिलाना चाहता हूं :

"(1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."

तो यहीं तक तो यह बात सही हो गयी कि गवर्नर को यह अधिकार है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपनी जगह पर नहीं हों, अपने ओहदे पर न हों तो वह किसी माननीय सदस्य को इसके लिये कह सकें कि वह प्रेसाइड करें और अध्यक्ष का काम करें।

अब प्रश्न आता है कि स्पीकर इस वक्त हमारे भूतपूर्व स्पीकर थे वे ही हैं या दूसरे। इसके लिये आपका ध्यान आर्टिकल 179 की तरफ दिलाना चाहता हूं और उसके अन्दर, है :—

"A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly,"

इसके लिए तो मेरे दोस्त ने रेफरेन्स दे दिया।

"(b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office,"

इसके लिये भी दे दिया।

"may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly."

इसके लिये भी दे दिया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : आपके लिये कोई छोड़ा नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : छोड़ा है।

"Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution."

(व्यवधान)

Page No.18

(श्री बरकतुल्ला खां)

आप सुन लीजिये। आपके पोइन्ट को ही स्ट्रेस कर रहा हूं। आप से तो पुरानी दोस्ती है। "Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution." सवाल यह आता है कि यहां तक तो हो गया कि गवर्नर को यह अधिकार है कि अगर कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर न हो तो किसी को अपोइन्ट कर ले। गवर्नर को यह अधिकार है कि इस हाउस को बुला ले।

अब सवाल इतना सा रह आता है कि पहले स्पीकर थे वे आज भी स्पीकर हैं या नहीं। मैं यह कहूंगा कि कल तक वे थे आज नहीं हैं। इसलिये कि he vacates his office immediately before the first meeting of the House यह हाउस पहले कन्वीन हुआ आज ओथ लेने के लिये और ओथ ले ली, हाउस एडजोर्न हो गया। स्पीकर के इलेक्शन के लिये मीटिंग हुई यह सेपरेट मीटिंग हुई। इसलिये वह ओफिस डिजोल्व हो गया और अब यह प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य: Do you call it first meeting, Sir ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह तो माना है कि कल तक स्पीकर थे। (विराम) कल तक स्पीकर थे यह तो आपने माना है।

श्री बरकतुल्ला खां : आपने जिस तरीके से एतराज खड़े किये हैं उसका जवाब दिया। मैं जवाब दे रहा हूं उस पर आप बोलिये। आप क्रास एग्जामिन न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I will not cross you.

श्री बरकतुल्ला खां : I will not be interested in crossing you at all, I can assure you. तो माननीय अध्यक्ष, मेरा यह सब्मिशन है कि यह मीटिंग कन्वीन की गई है और आपको अधिकार दिया है कि आप सदन की अध्यक्षता करें यह सही है और यह मोशन स्टेन्ड करेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है उस पर महत्वपूर्ण रूलिंग देने का है।

(व्यवधान)

श्री अस्थाई अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सदस्यों ने संविधान और उसके जो प्रावधान हैं उनका सत्य और निष्ठा से अनुपालन करने के लिये शपथ अथवा प्रतिज्ञान किया है और यही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है उस पर सदन को विचार करना है और श्रीमान् को यह व्यवस्था इस प्रश्न पर देनी है कि यह स्पीकर का चुनाव जो हो रहा है यह संविधान की मर्यादाओं के अन्दर हो रहा है या उसके प्रतिकूल। सरकारी पक्ष की ओर से कुछ धाराओं का उल्लेख अभी किया गया है। लेकिन जहां तक धाराओं का अर्थ निकालने का प्रश्न है जो अर्थ उसमें निहित होता है उसके प्रतिकूल अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। रूल्स जरूर हैं। रूल्स आॅफ प्रोसिजर में यह अधिकार दिया है कि स्पीकर के चुनाव के लिये समय और व्यक्ति का निश्चय कर दें। लेकिन रूल्स किन के तहत

Page No.19

(श्री दुर्गालाल बाढवार)

बनते हैं ? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत बनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई नहीं है कि गवर्नर को अधिकार दिया जाय। यदि कोई रूल्स किसी एक्ट के अन्तर्गत बनते है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अन्तर्गत बनते हैं और इन दोनों के बीच इन्कन्सिस्टेन्सी हो तो कौनसा प्रोविजन प्रिवेल करेगा। संविधान कायम रहेगा या रूल्स गौण रहेंगे ? देश में धर्म के अनुसार कानून चले आते थे उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था दी जाती थी। जो मान्यता आज कान्स्टिट्यूशन को दी जाती है वही मान्यता हमारे देश में वेदों को दी जाती थी। स्मृतियों को महत्व नहीं देकर श्रुतियों को दिया जाता था। श्रुति स्मृति विरोधेतु श्रुत्यैरेव गरीयसी श्रुतियां।

Where there is a conflict between 'Shruti' and 'Smriti', it is 'Shruti' that will prevail.

यहां कान्स्टीट्यूशनल ओब्जेक्शन जैसा आज प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें तीन मुद्दे उठाये गये। इस बारे में विधि मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण करने की चेष्टा की और कहा कि हमको संविधान में से उन प्रावधानों को पढ़ना चाहिये कि जिनके द्वारा गवर्नर महोदय को सम्मन करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रश्न तो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। सदन को सम्मन करना और बात होती है। पर उसके पश्चात् उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रेसाइड करना दूसरी बात है। इन दोनों चीजों का मिलान नहीं किया जा सकता।

जो प्रश्न आज उठाया गया है उसके उत्तर में यह जो धारा 180 रेफर की गई उससे प्रश्न स्पष्ट नहीं होता। मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने आर्टिकल 180 ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन को पढ़ देना चाहता हूं और इसके बाद विधि मन्त्रीजी से यह विनम्र निवेदन करने की चेष्टा करूंगा कि यदि वे पुनरावलोकन करें और सत्यार्थ निकालने की चेष्टा करें तो यह अर्थ नहीं निकल सकता कि जो वे निकालना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसे मुलाहिजा फरमाइयेगा। जहां तक जुडीशियल मुद्दा तय करने का सवाल आता है तो उस पर जुडीशियल डिसीजन लेना होगा। कहीं कहीं यदि अर्थ विपरीत निकलता है तो आप जैसे व्यक्ति जो जुडीशियल प्रिन्सिपल में विश्वास करते हैं, निश्चयात्मक रूप से वही अर्थ निकालने की चेष्टा करेंगे जो निकलना चाहिये।

"While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose"

मैं केवल, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विधि मन्त्रीजी का ध्यान इस प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके सामने यह मसला कहां से पैदा हुआ कि

when the office of the Speaker is vacant.......

आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहां के योग्य विधि मन्त्री महोदय यह मानते थे कि

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कल तक तो ऑफिस आफ दी स्पीकर कण्डक्ट वही करते थे और आज ऑफिस आफ दी स्पीकर वेकेंट हो गया । यह अर्थ इस आधार पर लगाया जा रहा है कि अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर महोदय ने कान्स्टीट्यूशन के प्रोवीजन के तहत कर दी । इसको आधार-भूत मानकर विधि मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं । पर संविधान के प्रावधानों को इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि जिन के आधार पर उस पुरानी असेम्बली के स्पीकर महोदय, यदि असेम्बली डिजोल्व कर दी जाती है और जब तक नेक्स्ट सीटिंग नई असेम्बली की नहीं हो जाती है, तब तक ऑफिस पर चलते रहेंगे।

आपके सामने दो मसले आते हैं । एक यह कि पहले वाली एसेम्बली जो चल रही थी उसको डिजोल्व किया गया उसके बाद में भी वे स्पीकर थे इसका जुडीशियल नोटिस ले सकते हैं । जो बात रिकार्ड पर मौजूद है उसको प्रमाणित करने के लिये सबूत की जरूरत नहीं ।

इसको ध्यान में रखते हुए आप स्वयं मुलाहिजा फरमायेंगे कि बाद आज तक हुक्म, आदेश निर्देश आदि जारी किये जाते रहे वे सब उन्हीं स्पीकर के आदेशों के अनुसार जारी किये जाते रहे , यदि इस प्रावधान के अन्दर यह अर्थ लिया जाता है और यदि उनका असेम्बली का मेम्बर होना सीज हो जाता है उनके बाद पोस्ट वेकेन्ट हो जाती है तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अगर यह अर्थ लगाया जाता था तो क्या कारण था कि उनके चुनाव का परिणाम निकल जाने के बाद भी उनके अधिकार समाप्त नहीं हुए और वे स्पीकर की हैसियत से आज तक आदेश निर्देश देते रहे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं · ·

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

श्री अस्थायी अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर । आपस में बात न करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं रिलेवेन्ट बात कह रहा हूं ।

श्री अस्थायी अध्यक्ष : आप पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा सब्मिशन यह था कि संविधान की कुछ मर्यादाएं हैं उनको एक्सप्लेन करना एक निहायत आवश्यक चीज होती है । सदन के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करता हूं कि यह आपका कर्त्तव्य होता है, पुनीत कर्त्तव्य होता है कि वे संविधान की मर्यादाओं और संविधान के प्रावधानों का जिस किसी प्रकार से भी अर्थ लगावें वह सही माने में होना चाहिये । वरना परिणाम क्या होगा ? यदि बहुमत के जोर से एक सही बात को जिद् पकड़ कर गलत रास्ते ले जाने की चेष्टा की गई तो अर्थ का अनर्थ हो जायगा । कानून का, संविधान का सही अर्थ लगाने में बहुमत को बीच में नहीं आने देना चाहिये । उस पक्ष में बैठने वालों में भी सौभाग्य से विधि वेत्ता हैं, कानून के जानने वाले हैं । वे भी सही अर्थ निकालने की चेष्टा करेंगे । यह जुरिस्डिक्शन का प्रश्न है । जुरिस्डिक्शन के बारे में इनहेरेन्ट लोक हैं । मैं यहां तक कहने को

Page No.21

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तैयार हूँ कि कोर्ट्स ग्राफ ला में भी इन-हेरेन्ट लेक ग्रॉफ जुरिस्डिक्शन के बारे में फण्डामेन्टल ग्रोब्जेक्शन रेज करने के बाद कोर्ट भी उनको सुनते हैं, अपने स्वयं के बारे में भी निर्णय देने की चेष्टा करते हैं। तो ये चीजें इनहेरेन्ट लेक ग्राफ जुरिस्डिक्शन की तारीफ में ग्राते हैं। जरिस्डिक्शनल पावर ग्राफ इनहेरेन्ट लेक से यह सम्बन्धित है। इस बारे में हाई कोर्ट ग्रौर सुप्रीम कोर्ट की भी नजीरें हैं।

तो इस सारी पृष्ठ भूमि को ग्रापके ध्यान में लाते हुए मैं यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब इनहेरेन्ट लेक ग्राफ जुरिस्डिक्शन का सवाल पैदा होता है तो वह प्रश्न उसी ग्राथोरिटी के सामने भी रेज किया जा सकता है ग्रौर वही उस पर निर्णय भी ले सकती है। तो इसलिये बड़ी विनम्रता से निवेदन मैं करूंगा कि जहां तक इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने का सवाल है, वैसे ग्रापने सारी मर्यादाग्रों को-शपथ दिलाने ग्रादि की मर्यादाग्रों को निभा दिया, ग्रब जहां तक लास्ट फंक्शन का सवाल ग्राता है वहां जुरिस्डिक्शन का प्रश्न पैदा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : ग्रापने कानून तो बताया नहीं। सर्फ मुझे उपदेश दिया इतनी देर तक।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके लिये भी मैंने निवेदन किया है ग्रौर फिर निवेदन कर दूं कि संविधान की धारा 174 से लेकर 180 तक ग्रवलोकन कर लीजियेगा। इसमें जो गवर्नर को पावर दी गई हैं उन पावर्स में यह नहीं है कहीं भी कि वह सदन के स्पीकर का भी चुनाव कराने के लिये सदन की ग्रध्यक्षता कर सके। रूल्स ग्राफ प्रोसिजर में में भी जो प्रावधान हैं वे भी इतने ही दिये गये हैं कि गवर्नर इसके लिये तिथि ग्रौर समय निश्चित कर सकते हैं। पर जहां तक ग्रध्यक्ष के चुनाव कराये जाने का सवाल पैदा होता है उसमें यही लिखा है कि जल्दी से जल्दी (as soon as possible) यानि जब सदन स्वयं उपयुक्त समझेगा उसके बाद ही वह कार्यवाही में चुनाव सम्पन्न करावेगा। इन स्पष्ट प्रावधानों के होते हुए यदि गवर्नर किसी को ग्रस्थायी ग्रध्यक्ष, इस सदन के ग्रध्यक्ष के चुनाव हेतु, नियुक्त करते है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह संविधान के ग्रादेशों के प्रतिकूल है। इस हेतु मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि ग्राप इस मुद्दे पर ग्रपना निर्णय देने की व्यवस्था कीजियेगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न यहां बन रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि जो पाइन्ट एट इश्यू है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। पाइन्ट एट इश्यू यह है कि सदन के माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल ने जो सवाल उठाया है कि ग्राया जो स्पीकर के इलेक्शन का टाइम फिक्स किया गया है वह कान्सटीट्यूशनल है या नहीं।

दूसरा पाइन्ट यह है कि ग्राया ग्राप माननीय ग्रध्यक्ष इस मीटिंग की ग्रध्यक्षता कर सकते हैं या नहीं। These are two relevant points that he has raised. ग्रब जहां तक ग्राज की तारीख तय करने का रूल में दिया हुग्रा है कि Governor shal appoint a date and time for the

Page No.22

(श्री पी. के. चौधरी)
election of the Speaker तो इसको आप चेलेंज नही कर सकते ।

दूसरी बात अब यह कही जाती है कि आपको चुनाव कराने का अधिकार नहीं दिया लेकिन यहां पर आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, you are only presiding over a meeting of the session. आप हाउस की मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं और चुनाव हम कर रहे हैं। फिर कान्सटीच्यूशन में दिया हुआ है कि The House will elect the Speaker as soon as possible. मतलब यह है कि हाउस इलैक्ट करता है, आपको इलेक्ट करने का कोई अधिकार नही है। आप तो केवल हाउस की मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं और मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए प्रावीजन यह है 180 में कि : "During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly, the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

श्री रामानन्द अग्रवाल: Deputy Speaker is present in the House.

Deputy Speaker is Mr. Narain Singh Masuda and he is present in the House.

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : He was once upon a time. No more now.

श्री पी. के. चौधरी : "While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."
तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आपको जो गवर्नर महोदय ने अपाइन्ट किया था the purpose was clear.

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इस आर्टीकल के तहत नही किया है बल्कि 188 के तहत किया है। मैं आपकी सूचना के लिए कह रहा हूं ताकि आप मालूम करलें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। राज्यपाल महोदय के दो आदेश यहां पर पढ़े गये थे मेरे अपाइन्टमेन्ट्स के बारे में और मेरे ख्याल से आपको ध्यान नही रहा। दो आदेश है।

श्री पी. के. चौधरी : प्रिसाइड करने का उसमें शामिल है। इसलिए यह दोनों पाइन्ट जो श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने उठाये है वह काबिले एक्सेप्टेन्स नही हैं और उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए. The Speaker should give his ruling on it and the debate should stop.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि कानून के पण्डितों की तो व्याख्या काफी हो गयी है। इस पर रूलिंग हो जाये तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं समझता हूँ.......

श्री अस्थाई अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज......

(श्री अस्थाई अध्यक्ष)

ऐसा है कि मैंने माननीय सदस्यों की राय तो सुन ली और वैसे माननीय सदस्यों की बेचैनी और आतुरता भाषण देने के लिए मैं समझ सकता हूँ लेकिन जो कानूनी मसला उठाया है उसके बारे में मैं व्यवस्था देने की स्थिति में हूँ इसलिए आप मेरे विचार और निर्णय सुनलें।......

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : श्रीमन्, एक पाइन्ट और रह गया है और उसको आप सुन लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमन्, दो बातें इस हाउस के सामने हैं। एक तो सवाल माननीय सतीशचन्द्रजी ने उठाया उनका जवाब हमारे विधि मंत्री महोदयजी ने दिया। उन दो के बीच में जो विशेष बात है वह यह है कि आज की सिटिंग यह सीटिंग आफ दी हाउस है या मीटिंग आफ दी हाउस है। फर्स्ट सिटिंग आफ दी हाउस कौनसी मानी जायेगी, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उन्होंने जो प्रिवलेज कमेटी का हवाला दिया था उसका कतई जवाब हमारे विधि मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। सदन में एक तरफ तो 12 मेम्बर्स को दण्डित करने के लिए एक तरह से इन्टरप्रिटेशन करें और दूसरी तरफ अपनी गल्तियों से बचने के लिये दूसरी तरह से इन्टरप्रिटेशन करना चाहें। जो प्रिवलेज कमेटी ने फैसला दिया है उसके अनुसार निश्चित रूप से उनकी यह मान्यता है कि विधान सभा का जो सत्र शुरू होता है उसकी पहली सीटिंग गवर्नर महोदय के अभिभाषण के बाद शुरु होगी और जो कल होगी जैसा कि उन्होंने कार्यवाही की सूची से पढ़कर सुनाया है इस विषय में विधि मंत्री महोदय मौन रहे हैं। यह इस समय की मीटिंग है और वह औपचारिक मीटिंग विधान सभा की नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि आप कहेंगे कि गवर्नर महोदय को इस प्रकार का अधिकार है, रूल्स के अन्तर्गत है मैं उस बहस को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो कि सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने आपके सामने जो बातें कही है। और इसी प्रकार का आप यह फैसला भी करें कि यह जो रूल 7 (1) है यह विधान के अन्तर्गत भी आता है तब भी जो मोशन हमारे मुख्य मंत्रीजी जो बने बैठे है-मैं यही कहूँगा-उनको यह मोशन मूव करने का अधिकार नहीं है कि क्योंकि 7(1) में भी जो दिया गया है वह तब है कि एक मेम्बर पहले दोपहरी तक उसकी सूचना देगा, दूसरा मेम्बर उसका अनुमोदन करेगा और तीसरे जो खड़ा होने जा रहा है वह अपनी सहमति देगा। इसके लिए यह जरूरी है कि क्या हम विधिवत सदस्य है जिन्होंने इस प्रकार की सूचना दी है और जब तक हम शपथ नहीं लेते हैं तब तक सदस्य की परिभाषा में नहीं आते। आपने प्रातःकाल शपथ ग्रहण कराई है उसका एक वाक्य था कि मैं जो पद ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इन्होंने शपथ लेने के बाद इस सदन के सदस्य का पद ग्रहण किया है। और कल दोपहर को आपने मोशन को मूव किया है जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमारे विधि मंत्री महोदय ने एक परम्परा की दुहाई दी है। और वह परम्परा बताते हैं तो अब तक राज्यपाल महोदय इस तरह से अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति करते रहे हैं तो मैं आपके द्वारा विधि मंत्री महोदय से पूछना

Page No.24

(श्री नत्थी सिंह)

चाहता हूँ कि क्या यह परम्परा नहीं रही है कि जब सदस्य शपथ ग्रहण करलें उसके बाद ही इस प्रकार का प्रस्ताव मूव किया जाये। यह परम्परा है और उसी के अनुसार सन् 52 से 62 तक की विधान सभाओं में कभी भी वह स्थिति नहीं आई कि सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करें और विधान सभा में अध्यक्ष का नोटिस पहले ही दे दें। इसलिए विधान के हिसाब से और परम्परा के हिसाब से जो यह मोशन मूव किया है वह अवैधानिक है, गैरकानूनी है और इसको मूव करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, एक नया प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उसके संबंध में और एक प्रश्न माननीय जनसंघ के श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उठाया है, मैं भी कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

अभी यह प्रश्न उठाया गया है क्योंकि इन्होंने मोशन रखने के लिए नोटिस दिया है इन्होंने ओथ नहीं ली है। इसलिए उनको नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है इसलिए यह जो नोटिस है यह कानूनन अवैधानिक है। जहां तक इसकी कानूनी स्थिति का प्रश्न है 188 जो कान्स्टीट्यूशन का आर्टीकल है उसमें बताया है ओथ के बारे में और दूसरा है कि 'एनी मेम्बर' तो मेम्बर हो जाता है ओथ लेने से पहले उसकी एसेम्बली की मेम्बरशिप ओथ लेने से कम्पलीट होती हो ऐसी बात नहीं है। ओथ लेना किस किस चीज के लिए जरूरी है जैसे सेलेरी के हिसाब से ओथ लेना जरूरी है, और मीटिंग में पार्टीसिपेट करने का अधिकार रखने के लिए ओथ लेना आवश्यक है। लेकिन वह और दूसरे मतलब के लिए मेम्बर बदस्तूर रहता है। तो हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर में, जो हमारे बिजनेस के रूल्स हैं उसमें प्रावधान है कि "Any member can give the notice" जो मोशन लेते हैं उसके लिए नोटिस दे सकते हैं। स्पीकर के चुनाव के संबंध में प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो एक मेम्बर वह है तो उन्हें अधिकार इस तरह का मोशन मूव करने का है और उसमें ओथ कहीं आड़े नहीं आ सकती है। बाकी यह सवाल नहीं उठ सकता है इसलिए ओथ के आधार पर किसी के अधिकारों के बारे में यह कोई माने नहीं रखता।

दूसरा प्रश्न जो सिटिंग और मीटिंग . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल): आप तो इतना क्लियर कर दीजिए और यह बता दीजिए कि बिना ओथ लिए ही स्पीकर हो सकता है या नहीं या यह भी हो जायेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह: मेम्बर्स की जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है क्या वह स्टैंड नहीं करती?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आर्टिकल 193 में दिया हुआ है: He is at the most liable to a penalty of five hundred rupees." तो इसलिए आर्टिकल 193 (1) के रूल्स के अनुसार अगर ओथ लिए बिना अगर वोट देगा तो वह उसको वोट देने से रोका नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी लगाई जा सकती है।

This is what Article 193 states. But apart from that यह जो मेम्बरशिप का उसको . . .

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप मानते हैं कि बिना ओथ लिए वोट नहीं दे सकता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मान लीजिए दे दे तो वोट....

श्री अस्थाई अध्यक्ष : कृपया आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में बातचीत न करें।

श्री भैरोंसिंह : आपके मार्फत ही पूछ रहे हैं। आप वह व्यवस्था दिला दें इसमें कि कोई भी सदस्य बिना ओथ लिए वोट दे सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि आर्टिकल 193 है जिसमें बताया है कि कोई बिना ओथ लिए वोट देता है तो उस पर जुर्माना होगा। इसका मतलब...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे आफेंस वेलिडेट नहीं होता ?

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि जुर्माना देने के बाद उसका वोटिंग वेलिड मान लिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यहां पर प्रश्न यह है कि जिन्होंने मोशन रखा है और मूव करने जा रहे हैं, जिस वक्त मूव करेंगे, उस वक्त वे ओथ ले चुके या नहीं ? जिस वक्त नोटिस दिया था उस वक्त उन्होंने ओथ नहीं ली थी लेकिन क्या उस वक्त ओथ नहीं लेने से.....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जिनको अध्यक्ष पद के लिए नोमीनेट करें वह भी ओथ नहीं ले तो क्या उसको भी निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न यहां पर नहीं है।

कई माननीय सदस्य एक साथ : यह प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन्होंने प्रस्ताव किया है, श्री सुखाड़ियाजी ने जो प्रस्ताव किया है तो क्या उन पर जुर्माना किया जा सकता है ? लेकिन उनका प्रस्ताव तो वैधानिक है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल ही नहीं है।

दूसरा प्रश्न यहां पर उठाया गया सिटिंग और मीटिंग का। चूंकि जो प्रावधान...

श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या जो माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं उसको सरकारी जवाब समझा जाय ?

श्री बरकतुल्ला खां : क्या यह रोक लगा दी गई है कि आप ही बोल सकेंगे और कोई न बोले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि आर्टिकल 179 के तहत जो प्रोविजन है :

"Provided further that whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution."

अब और दूसरी जगह प्रावधान है, सिटिंग शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो हमको मीटिंग और सिटिंग इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करना पड़ेगा और जब हम इन डिस्टिंक्शन्स को समझ लेते है तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि आज सिटिंग नहीं है। जैसा कि जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि कल गवर्नर साहब का एड्रेस होगा उस वक्त तक रामनिवासजी मिर्धा जो कि पहले के अध्यक्ष हैं वे अध्यक्ष रहते है। लेकिन यह बात नही है। इसमें जो गर्वनर साहब ने नोटिफिकेशन इश्यू किया है :

Members are summoned to meet on third at 11 a.m. in the Assembly तो मीट करने वाला मामला है वह तो 11 ए. एम. को हो गया, यह वही मीटिंग है। जो अब सिटिंग होगी वह बाद में होगी। इसलिए मीटिंग एक तरह से कन्वीन कर ली गई। मीटिंग कन्वीन करने का काम है उसे जो पहले के स्पीकर हैं उन्हें इस प्रोविजन के तहत में कोई अधिकार नहीं रहता है और इसलिए रामनिवास जी मिर्धा को इस मीटिंग को प्रिसाईड करने का अधिकार नहीं रहता है और इसीलिए उनको आज तक का स्पीकर मानने के लिये कोई कन्वेंशन वैधानिक कारणों से या और किन्हीं ग्राउण्ड्स से नहीं है। इसलिए जब वे स्पीकर नहीं है तो गवर्नर को आर्टिकल 180 जो है उसमे दो तरह के प्रावधान हैं। एक तो यह कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं लेकिन किसी वजह से एक या दो दिन एब्सेंट रह जाते हैं उस वक्त क्या प्रक्रिया काम में ली जावे ? तो उस वक्त की प्रक्रिया के लिए गवर्नर को अधिकार है कि इन दोनों की एब्सेंस में किसी को स्पीकर मुकर्रर करें और काम को चलावें। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, बल्कि पोस्ट वेकेंट है तो उस हालत में गवर्नर को अधिकार है कि आर्टिकल 180 सब-क्लाज (1) के तहत······

श्री भैरोंसिह : कब से एग्जीस्टेंस में नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नियुक्त करने का अधिकार है····

श्री भैरोंसिह : आप तो यह बता दीजिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एग्जीस्टेंस में नही है तो गवर्नर को उनको नियुक्त करने का अधिकार है और वे नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन इसको जरा क्लियर कर दीजिए कि कब से एग्जीस्टेंस में नही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस सारी चीज को व्यवस्था बनी हुई है कि जब भी मिटिंग होगी और जब भी पहले वाला स्पीकर एग्जीस्टेंस में नहीं होगा, पोस्ट वेकेंट होती है और वेकेंट अकार्डिंग टू कांसटीट्यूशन होती वे तो उसके वेकेंट होते ही कोई वेक्यूम नहीं रखा जा सकता है। उस वेक्यूम को भरने के लिए पहले से ही एक्शन लेने का अधिकार गवर्नमेंट को है और उसके अनुसार ही उन्होंने स्पीकर की नियुक्ति की ताकि वेक्यूम नहीं रहे। ज्योंहि अध्यक्ष का पीरियड खत्म होता हो तत्काल वेक्यूम न रहे इसके लिए उन्होने अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति को ताकि वे प्रोविजनल स्पीकर के रूप में काम कर सकें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कांसटीट्यूशनली वेकेंट होने की हालत में·····

श्री किशनलाल (नावां) : The order of appointing the Speaker pre-

(श्री किशनलाल)
supposes the vacancy of the post of the Speaker. How the order....

श्री अस्थाई अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री किशनलाल (नावां) : How this order was promulgated yesterday ?

श्री अस्थाई अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री किशनलाल : How is it ?

श्री अस्थाई अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : on a point of order Sir, मुझे अत्यन्त ही खेद पूर्वक निवेदन करना पड़ रहा है कि आज तारीख 3 को विधान सभा की बैठक होगी और उसमें स्पीकर का चुनाव होगा इस बात की सूचना मुझे आज तक नहीं मिली है, आपके सचिवालय के द्वारा । अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की आप जांच करायें कि किस कारण से मुझे यह सूचना नहीं पहुँची और आयन्दा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार की बात न हो ।

श्री अस्थाई अध्यक्ष : सूचना देने का जहां तक सम्बन्ध है, आप समय समय पर जो पता देते हैं उस पर दी जाती है। और अब तो आप खुद सदन में पधार गए हैं तो सूचना मिलने, न मिलने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। जो आगे की व्यवस्था का प्रश्न है, जो पता आप देंगे उस पर भेज देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : यहां यह प्रश्न नहीं है कि माननीय सदस्य सदन में आ गए हैं इसलिए सूचना पहुँची या नहीं पहुंची, इस पर विचार न किया जाय । आप इस सचिवालय से इत्मिनान करिए कि माननीय सदस्य को सूचना दी गई है या नहीं और दी गई तो इनके पास पहुँची या नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुँची तो क्यों नहीं पहुँची । यह नहीं हो सकता कि माननीय सदस्य हाउस में आकर बैठ गए इसलिए मान लिया गया कि सूचना पहुँच गई है ।

श्री अस्थाई अध्यक्ष : 28-4-67 को सभी माननीय सदस्यों को सूचना दे दी गई, कायदे से पहुंच जानी चाहिए ।

श्री खेतसिंह (शेरगढ) : इनको सूचना मिल भी कैसे सकती थी । ये तो शूटिंग लाज में बन्द थे ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : सूचना नहीं मिलने से ये जो स्पीकर का चुनाव लड़ना चाहते थे वह नहीं लड़ सके । सूचना अगर समय पर मिलती तो ये चुनाव के लिये खड़े होते, यह सदस्य महोदय का प्रिविलेज था । सूचना ठीक तरह से नहीं पहुंचने से उसका उपयोग नहीं कर सके ।

श्री अस्थाई अध्यक्ष : हमारे सामने दो आबजेक्शन्स पेश हुए हैं । एक इसलिए कि क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव के लिए जिन महानुभाव ने नोटिस दिया था, प्रस्ताव पास करने का, उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी और न जो उम्मीदवार हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, इसलिए नियमानुसार यह प्रस्ताव पेश नहीं होना चाहिए । उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि जो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रश्न है वह सिर्फ हाउस में बैठने के लिए और उसकी कार्यवाही मे हिस्सा लेने के पहले शपथ लेनी होती है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि शपथ लिए बगैर कोई माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष अध्यक्ष)

नोटिस नहीं दे सकता या नोटिस नहीं ले सकता या जो इसके सम्बन्ध में कार्यवाही में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि राज्य सभा के चुनाव होने वाले थे और विधान सभा निलम्बित थी तो भी अपन लोगों को अधिकार था सदस्य होने के नाते कि उसमें वोट दे सकते थे।

तो इस सम्बन्ध में मेरा निर्णय यह है कि शपथ लेने की जरूरत नहीं थी जिस वक्त नोटिस दिया प्रस्ताव का। इसलिए प्रस्ताव नियमानुसार पेश हुआ है।

दूसरा ऐतराज है श्री सर्वेशचन्द्र अग्रवाल का। उनका कहना यह है कि आज की सभा की अध्यक्षता में नहीं कर सकता, क्योंकि जो पिछली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष थे वे अब भी विधान के अनुसार अध्यक्ष हैं, और पहली मीटिंग आपके अनुसार जो गवर्नर के अभिभाषण के बाद में होने जा रही है उस वक्त तक वे अध्यक्ष रहेंगे।

मैं इस मामले में आप सब का ध्यान नियम 11 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां देखा जाय तो सिटिंग और मीटिंग में विशेष अन्तर नहीं है। मीटिंग का मतलब यह है कि एकत्र होना, किसी सूचना के ऊपर एकत्र होना, इसका नाम मीटिंग है। सुबह जो कार्यवाही हुई थी शपथ ग्रहण करने की, इसको मीटिंग इस मायने में नहीं कह सकते कि शपथ की कार्यवाही सभा के भवन में न होकर चेम्बर में भी हो सकती थी। उसमें यह आवश्यक नहीं था कि इस सभा का कोई माननीय सदस्य उसकी अध्यक्षता करे या शपथ दिलवाये, लेकिन अब जो शपथ लेने के बाद जो मीटिंग है या सिटिंग है वह वास्तव में वैधानिक सिटिंग है, और सिटिंग जब बनती है तो उसके लिए नियम 11 है अपनी प्रक्रिया का

"11—When is sitting of House duly constituted. A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules."

माननीय सदस्य कोई भी प्रावधान नहीं बता सकते विधान के अन्दर जिसके अनुसार हमारी पहली विधान सभा के अध्यक्ष थे और जो इस सिटिंग के पहले तक यानी 5 बजे का टाईम है तो 5 बजने में एक सेकण्ड कम था वह अध्यक्ष थे, लेकिन वह अधिकार उनको नहीं है कि इस सिटिंग को प्रेसाइड करें। उससे पहले तो वे थे, लेकिन यह डिफरेंट सिटिंग है। यह सिटिंग वह है जिसमें स्पीकर दूसरा व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति के लिए गवर्नर साहब को यह अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति को एपाइन्ट करें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं हो उस हालत में। तो सिटिंग के इमीजिएटली पहले तो वे विधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन ज्योंहि यह सिटिंग हुई नेक्स्ट सिटिंग उस वक्त वे अध्यक्ष नहीं रहे, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहे उस हालत के अन्दर गवर्नर साहब को यह अधिकार है कि वे अनुच्छेद 180 के अनुसार–

"While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Dy. Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."

Page No.29

(श्री अस्थाई अध्यक्ष)

"Such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."

तो इस प्रावधान के आधीन ही गवर्नर साहब ने मुझे आदेश दिया कि मैं चुनाव करवाऊं, और उनका जो यह आदेश था यह बिल्कुल विधान के अनुसार है, और इसमें विधान के किसी अनुच्छेद का या किसी प्रकार के नियम की अवहेलना नहीं हुई है। जो उन्होंने माननीय सदस्य ने हवाला दिया था अनुच्छेद 178 का–

"Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and deputy Speaker thereof and so often as the office of Speaker or Dy. Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Dy. Speaker ...."

यह सिर्फ एक ईनेबलिंग आर्टिकल है। इसके अनुसार यह कहना चाहते हैं कि ज्योंहि मीटिंग हो उसी वक्त स्पीकर चुनना जरूरी होगा। अगर बीच में स्पीकर का ओहदा रिक्त है तो गवर्नर साहब को यह अधिकार है कि 180 (1) में किसी विधान सभा के सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए या अध्यक्षता करने के लिए वे नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्य का जो यह आब्जेक्शन था उसको ओवररूल किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक जानकारी अगर आप बुरा न मानें तो यह चाहता हूं कि आपकी नियुक्ति कब की है ? जो लेटर आपने बताया है ? ....

श्री अध्यक्ष : गवर्नर साहब की नियुक्ति हो गई थी, गवर्नर साहब का टम खत्म होने से 20 दिन पहले। इमीजियेटली नियुक्ति नहीं होती है It is immaterial. I have taken as Speaker just at five p.m. today.

श्री किशनलाल शाह (नावां) : आनरेबल स्पीकर की पोस्ट वेकेन्ट नहीं थी इसलिए जो एपाइन्टमेंट हुआ है वह कान्स्टीट्यूशनली गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एपाइंटमेंट किया है वह मेटीरियल नहीं है, आपकी नियुक्ति कब हुई वह इसलिए मेटीरियल है कि 180 यह कहता है कि ऑफिस आफ दी स्पीकर वेकेन्ट हो तो गवर्नर करे।

श्री अध्यक्ष : वेकेन्सी की पोसिबिलिटी हो तो भी कर सकता है। एपाइंटमेंट इमीजियेटली उसी दिन होगा ऐसा नहीं है।

श्री किशनलाल शाह : आप संविधान तोड़ नहीं सकते......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्। ऑर्डर इफेक्टिव कब से हो यह देखने की बात है। चीफ आफ स्टाफ की पोस्ट खाली हुई थी और उसके लिए एपाइंटमेंट महीने भर पहले ही कर दिया था। चार्ज टेक ओवर जिस दिन वेकेन्सी हो उस दिन ले। यह व्यवस्था है। आपका प्रश्न यह है कि जिस वक्त खाली हुई हो उसी वक्त एपाइन्टमेंट कर दिया जाय यह नहीं होता है, लेकिन टेक ओवर तब करेगा जब कि वेकेन्सी होगी।

श्री किशनलाल शाह : यह राजनैतिक दृष्टिकोण से निर्णय है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा, विभाजन संख्या 68 को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदेव जोशी !

(प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने सदन में प्रस्तुत किया है और उसका समर्थन श्री मथुरादास माथुर ने किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से 'हां' की आवाजें)

जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें

(विपक्ष की ओर से 'ना' की आवाजें)

श्री हरिदेव जोशी : एज हेव इट सर ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि 'हां' पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष चुने गये।

(सदन के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं विपक्ष के श्री जयनारायण सालोदिया ने नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री निरंजननाथ आचार्य क अध्यक्ष पद ग्रहण करने हेतु प्रार्थना की एवं उन्हें अध्यक्षीय आसन पर आसीन करवाया)।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आम चुनाव के बाद इस विधान सभा की शुरुआत में अध्यक्ष पद के महत्वपूर्ण भार, जो आपको आज सौंपा गया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई अर्पित करता हूं। (हिअर-हिअर) (करतल ध्वनि) इस सदन में आपको डिप्टी स्पीकर के तौर पर, मिनिस्टर के तौर पर कार्य करने का अवसर मिलता रहा है और हमें पूरी आशा है कि आने वाले वर्षों में आप अपने पद के अनुरूप, इस पद के गौरव के अनुसार अपने कर्तव्य का इस प्रकार से निर्वहन करेंगे कि जिससे सभी दलों को पूरी तौर से संतोष प्राप्त होगा। मैं आपको पूरी तौर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से आपको सदैव सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।

(करतल ध्वनि)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (विरोधी दल के नेता)–अध्यक्ष महोदय, आपका चुनाव अध्यक्ष पद पर हुआ इस उपलक्ष में मैं आपको मेरे दल और अपनी ओर से शुभ कामना अर्पित करता हूं। (करतल ध्वनि) मैं आशा करता हूं कि आप जिस आसन पर आज विराजमान हैं उस आसन की गरिमा और महिमा आपके द्वारा बढ़ेगी और उसके साथ साथ में यह भी आशा व्यक्त करूंगा कि आपकी निष्पक्षता और व्यवस्था भविष्य में ऐसी हो कि जिसके द्वारा आसन के प्रति श्रद्धा और सम्मान सदन के सभी सदस्यों का उत्तरोत्तर बढ़े। (करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो आपने मेरे प्रति विश्वास प्रगट किया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। यह सौभाग्य का विषय है कि कुछ महीने पूर्व जो राजनीति में गतिविधि तथा अव्यवस्था आई उसका निराकरण हुआ और पुनः उस प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर यह प्रशासन यहां कायम हो सका। उसकी पृष्ठभूमि में आज राजस्थान के लोगों की ही नहीं अपितु राष्ट्र के लोगों की भी इस सदन के वाद-विवाद पर, यहां की परम्पराओं पर, यहां की व्यवस्थाओं पर निगाह होगी। यह मैंने इसलिए निवेदन किया कि इस सदन की गरिमा, इसकी प्रतिष्ठा और इसका उत्तरदायित्व पहले से बराबर कायम रहा है और उसी संदर्भ में मैं चाहता हूं कि इस सदन का नाम राष्ट्र में अपनी परंपराओं के आधार पर रहा है, इसलिए ही लोगों की निगाह भी आगे आपके होने वाले वाद विवाद पर है। मुझे विश्वास है कि सदन अपना स्तर वाद-विवादों का और मुख्यता अपनी परंपराओं का उत्तरोत्तर बढ़ाता रहेगा '

जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा स्वरूप संविधान के अन्तगर्त है। (बदि) जिव्हा मेरी हो सकती है लेकिन वाणी पूर्णतया संविधान की, हमारे नियमों की और व्यवस्थाओं की होगी। अतः इस सीमा में यह आसन बंधा हुआ है। यह आसन जो कुछ भी कार्यवाही इस सदन में करेगा वह पूर्व की व्यवस्थाओं, नियमों उपनियमों और संविधान के आधार पर ही होगी। (करतल ध्वनि) मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीति के, दलों के परे मैं हो जाऊंगा। जिस आसन पर आपने मुझे विश्वास के साथ नियुक्त किया है, आपके विश्वास को पूरा कर सकूंगा या नहीं–यह तो समय ही बतलावेगा लेकिन यह विश्वास अवश्य दिलाना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा को, इसकी प्रतिष्ठा को, इसके उच्च आदर्शों को और इसकी परम्पराओं को निभाने में किसी प्रकार से भी पीछे नहीं रहूंगा। (करतल ध्वनि) मुख्यतया विरोधी दल के सदस्यों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ऐसा समय मौके ब मौके आया करता है जब मेरे निर्णय के सम्बन्ध में आपके मस्तिष्क में कुछ उद्विग्नता उत्पन्न हो। लेकिन में आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि कभी किसी अवसर पर ऐसा निर्णय निष्पक्ष होते हुए भी पक्षपातपूर्ण समझा जा सकता है–ऐसी स्थिति में अपेक्षा आपसे यह करूंगा कि आप उसके सम्बन्ध में मुझसे निराकरण करलें। यदि आसन में भी कोई त्रुटि हो तो उसका स्पष्टीकरण हो जाने से मेरा विश्वास है, आपके और मेरे बीच में जो छोटी मोटी उद्विग्नता उत्पन्न हो जाया करती है उसका निराकरण हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपसे पूर्व निवेदन किया, इस सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में सारे राष्ट्र की दृष्टि है। इस संदर्भ में आप माननीय सदस्यों से और मुख्यतया माननीय नेता महोदय–विरोधी दल के अथवा विरोधी अंग के–से अपेक्षा करूंगा और इसी प्रकार इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से, माननीय नेता महोदय से आशा करूंगा कि सभी मिल कर सामूहिक रूप से इस आसन को सहयोग दें तो मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में जो इस विधान सभा की अपनी परम्परायें हैं और गुरुतर आदर्शों के आधार

(श्री अध्यक्ष)

पर जो प्रतिष्ठा का नाम कमाया है वह उत्तरोत्तर बढ़ सकेगा । मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं आसन को निष्पक्षता का, आसन दलगत राजनीति से परे रह कर आपके सदन की गरिमा को बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगा । (इसके लिए) आपको धन्यवाद !

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बज कर 28 मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक 4-5-68 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 3 मई, 1967
(सायंकालीन)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	6	कार्यकारी	अस्थाई
1	16	"	"
2	9	कार्यसूचि	कार्य सूची
2	अंतिम से 4	नहीं	—
4	7	लेजिस्लेशन	लेजिस्लेचर
4	25	आपको	आपकी
5	22	......अब	अब
6	12	बिधान	विधान
6	27	नियुक्त	नियुक्ति
8	9	ग्रोर	ग्रोर
8	17	गई	गई,
8	19	गया	गया।
8	22	वहीं	वही
9	3	शॉर्टर	शोर्ट
9	अंतिम से 5	।	?
9	अन्तिम से 3	दूं तार टेलीफोन	दूं ? तार-टेलीफोन
10	2	निदेश	निर्देश
10	अन्तिम	लिया	लिया।
13	23	हैं	है
13	अंतिम से 2	कर्तव्य	कर्तव्य
14	1	कर्तव्यों	कर्तव्यों
15	19	जुरिसिड-	जुरिस्डि-
16	9	वरक्तुल्ला	बरकतुल्ला
16	23	(1)	"(1)
16	अंतिम से 3	Session"	Session."
17	1	खा	खां
17	अंतिम से 9	यहीं	यहां
20	6	हैं	हैं
21	1	वाडदार	वाढ्दार
21	16	भुतिया	—
23	9	ग्लेक्ट	नेग्लेक्ट
23	13	सीटिंग	सिटिंग
24	अंतिम	लंक	लंक
25	7	आते हैं। जरिस्डि-	आती हैं। जुरिस्डि-
25	अंतिम से 8	सर्फ	सिर्फ

1	2	3	4
26	2	में में	में
26	15	में	मैं
26	अंतिम से 2	Shel	Shall
28	16	नही	नहीं
28	अंतिम	प्लीज........	प्लीज !
29	17	सीटिंग	सिटिंग
29	अंतिम से 5	सीटिंग	सिटिंग
22	अंतिम से 4	शुरु	शुरू
30	6	ग्रोर	अगर
30	27	इन्होने	इन्होंने
30	अंतिम से 2	म	मैं
32	8	हैं	हैं
32	20	भैरोंसिह	भैरोंसिह
32	24	He	"He
33	1	भैरोंसिह	भैरोंसिह
35	12	बह	वह
35	15	मीटिंग	मीटिंग
36	10	गवर्नर	गवर्नर
36	16	मिटिंग	मीटिंग
36	19	कांसटीट्यूशन	कांस्टीट्यूशन
36	20	वे	हैं
36	22	हो	ही
36	23	गवर्नमेंट	गवर्नर
36	अंतिम से 4	कांसटीट्यूशनली	कांस्टीट्यूशनली
37	9	on	On
38	22	आबजेक्शन्स	आब्जेक्शन्स
38	24	पास	पेश
39	2	जो	..
39	14	में	मैं
39	21	ग्रोर	और
39	अंतिम से 2	जो	..
39	अंतिम	व	बाद
40	4	constituted.	constituted —
40	13	मिटिंग	सिटिंग
40	14	टाईम	टाइम
40	21	ग्रीर	ग्रौर
41	4	ग्राधीन	ग्रधीन
41	9	जी	जो
41	15	deputy	Deputy
41	21	ईनेबलिंग	इनेबलिंग
41	अंतिम	लेटर	लैटर
42	1	श्री अध्यक्ष	श्री अस्थाई अध्यक्ष
42	2	टम	हम

1	2	3	4
42	8	एपान्टमेंट	एपोइन्टमेंट
42	15 व 20	श्री अध्यक्ष	श्री अस्थाई अध्यक्ष
43	1 व 2	,, ,,	,, ,, ,,
43	9	हरदेव	हरिदेव
43	14	मैं	में
43	15 व 17	ग्रोर	ग्रोर
43	19	श्री अध्यक्ष	श्री अस्थाई अध्यक्ष
43	अंतिम	क	को
44	25	ग्रोर अपनी ग्रोर	ग्रोर अपनी ग्रोर
45	1	सदस्यो	सदस्यों
45	20	विश्वास	विश्वास
45	21	मुख्यता	मुख्यतया
45	22	उत्तरोंत्तर	उत्तरोत्तर
45	22	‘	।
45	30	नियमों	नियमों,
45	अंतिम	हो जाऊंगा।	होऊंगा।
46	12	में	मैं
46	21	हे	है
48	3	तदन्तर	तदनन्तर